राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 17, सोमवार, *शाके* 1947- दिसम्बर 08, 2025
Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 31, 2025

संख्या प.9(17)राज-1/2025-24917:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप् राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **राजसमन्द जिले की तहसील भीम** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियां को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम हो कर कॉलम संख्या-9 के अनुसार हैः-

क्र.सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			प्रस्तावित राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल ग्राम का विवरण	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राजसमन्द / भीम	**दिवेर** / **भीम**	**पीपरेलु** LG Code 96527	973.4156	839	**सातपालिया Saatpaliya**	**84.4916**	**285**	**10**	**888.9240**	**554**
2		**कुकरखेड़ा** / **भीम**	**कालेटरा** LG Code 96469	696.1595	1894	**आडीमगरी Adimagri**	**256.6518**	**800**	**1**	**439.5077**	**1094**
3		**समेलिया** / **भीम**	**तीतरी** LG Code 96444	907.9360	2151	**कंकेड़िया Kankediya**	**266.1366**	**981**	**2**	**641.7994**	**1170**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला**

कलक्टर, राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।